राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 103/2021 जीसीएमएस नं.– 2021/240

1. सुमेर सिंह पुत्र दाखादेवी व चंदगी राम उम्र 67 साल
2. कृपाल सिंह पुत्र दाखा देवी व चंदगी राम उम्र 55 साल जाति समस्त जाट निवासी गण कुहाड़वास तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं(राज.)

........वादीगण

बनाम

1. राजपाल पुत्र धनकोरी व चन्दगीराम उम्र 75 साल
2. राजकुमार पुत्र स्व. महेंद्र नवीरा धनकोरी च चन्दगीराम उम्र 30 साल
3. नीलम पुत्री स्व. महेंद्र नवीरा धनकोरी चन्दगीराम उम्र 35 साल
4. संतोष पत्नी स्व. महेंद्र पुत्रवधु धनकोरी व चन्दगीराम उम्र 52 साल जाति समस्त जाट निवासी गण कुहाड़वास तह. बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

–: निर्णय :–

दिनांक 06-09-2022

वादीगण की और से वाद पत्र प्रस्तुत किया है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम कुहाड़वास स्थित खातेदारी कास्त की भूमि जमाबंदी संवत 2065 से 2068 के खसरा नं 325 रकबा 4.31 है0 की खातेदारी दाखा, धनकोरी, पत्नी चन्दगीराम, सुमेर, कृपाल, राजपाल, महेंद्र पिता चन्दगीराम जाति जाट सा देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में जमाबंदी के [illegible] दाखा देवी का 1/6 हिस्सा, धनकोरी देवी का 1/6 हिस्सा, वादी सं. [illegible] 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि उक्त दाखा देवी व धनकोरी देवी का देहांत हो चुका है, वादीगण दाखा देवी के पुत्र है। व प्रतिवादी गण सं. 1 धनकोरी देवी का पुत्र व 2 लगायात 4 धनकोरी देवी के पुत्र महेंद्र जिसका देहांत हो चुका है जो धनकोरी देवी के पोत्र–पौत्री व पुत्रवधु है।

4. यह कि वादीगण की माता दाखा देवी का देहांत होने के बाद जब फौती इंतकाल दर्ज हुआ तक सहवन से रिकार्ड में सभी खातेदारों के नाम बराबर हिस्सा दर्जकर दिया गया जबकि दाखा देवी के वरिशान वादीगण है उनके नाम 1/12–1/12 भाग दर्ज होना है।

5. यह कि खंड न. 1 में वर्णित भूमि खसरा न.325 रकबा 4.31 है0 में दाखा देवी का1/6 भाग हिस्सा वादीगण के नाम धनकोरी देवी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण के नामदर्ज किया जा कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

6. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में दाखा देवी के1/6 भाग हिस्से को वादीगण के नाम दर्ज करने के बाद वादी सं. 1 को1/4 भाग व वादी सं. 2 को1/4 भाग तथा धनकोरी देवी के हिस्से को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करनेके बाद प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 भाग व प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 को 1/4 भाग का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाना आवश्यक व न्यायाचित है।

7. यह कि दावे के लिए आधार विवाद वादीगण ने प्रधानमंत्री कृषि योजना का लाभ लेने के लिय अपने खेत की जमाबंदी निकलवाई तो पता चला की उनकी माता दाखा देवी के हिस्से की भूमि उनके नाम दर्ज ना होकर सभी खातेदारों के नाम बराबर दर्ज हो गई जबकि दाखा देवी के वरिशान वादीगण व धनकोरी देवी के वरिशान प्रतिवादी गण है जिनके नाम उनका हिस्सा दर्ज हाना था जिसका रिकार्ड दुरूस्त करवाने एवं हिस्से की घोषणा करवाने के लिए यह दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ जो अन्दर मियाद पेश है।

8. यह कि विवादित भमि ग्राम कुहाड़वास तह0 बुहाना जिला झुंझुनूं में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में हाने से श्रीमान जी को सुनवाई बाबत सर्वाधिकार प्राप्त है।

9. यह दावापूर्ण न्याय शुल्क व नियमानुसार दो प्रतियों में पेश है।

10. यह कि दावे में नवीन व पुरान रिकार्ड पेश किया गया है जिसके समर्थन में वादी सं. 2 का शपथ पत्र पेश है।

वाद पत्र पेश कर अनुतोष निवेदन है कि :–

(क) कि वाके ग्राम कुहाड़वास स्थित खातेदारी कास्त[illegible] खसरा न. 325 रकबा 4.31 है0 भूमि में दाखा देवी के 1/6 भाग [illegible] के वरिशान वादी गण को [illegible] प्रतिवादी गण को खातेदार कास्तकार धनकोरी देवी का 1/6 हिस्सा उनके [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 1 का 1/4 भाग वादी सं. 2 का 1/4 भाग हिस्सा दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। बावजूद सम्यक तामिल के प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 114, ग्राम कुहाडवास, जमाबंदी सं. 2065–68, कुहाडवास, जमाबंदी सं. 2065–68, नामान्तकरण संख्या 730, जमांबंदी संख्या 394 पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वाद पत्र की खण्ड सं. 1 में वर्णित चेता की वंशावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण संदेह से परे साबित होना पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाडवास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा खसरा न. 325 रकबा 4.31 है0 में भूमि में दाखा देवी का 1/6 हिस्से का वादीगण तथा धनकोरी देवी का 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06-09-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.
जीसीएमएस नं.– 2021/240

मुकदमा नम्बर – 103/2021

सुमेरसिंह आदि बनाम राजपाल आदि

वादीगण की ओर से **श्री नरेश भरद्वाज एडवोकेट** की उपस्थिती मे व प्रतिवादीगण की अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 06-09-22 को **श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम कुहाडवास तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा खसरा न. 325 रकबा 4.31 हे0 में भूमि में दाखा देवी का 1/6 हिस्से का वादीगण तथा धनकोरी देवी का 1/6 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बुहाना को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 06-09-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:47 IST
Reason: SelfAttested